संख्या–435/XVI-2/18/7(11)/2018

प्रेषक,

डा. मेहरबान सिंह बिष्ट,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
भेषज विकास इकाई
देहरादून।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–2 देहरादूनः दिनांकः ~~अप्रैल~~ 01 मई, 2018

विषयः–वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहकारी जड़ी–बूटी योजना के अधिष्ठान हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्याः 26/लेखा/बजट अवमुक्ति प्रस्ताव/2018–19, दिनांकः 17.04.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में शासन के पत्र संख्याः 395/xvi–2/18/7(11)/2018 दिनांकः 16.04.2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भेषज विकास इकाई विभागान्तर्गत आय–व्ययक में अनुदान संख्या–29 की 0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना के अन्तर्गत अधिष्ठान की मानक मदों यथाः 15, 19 एवं 42 में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष **₹1.05**लाख(रूपये एक लाख पॉच हजार मात्र)की धनराशि वेब आधारित प्रणाली के माध्यम से व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– धनराशि का व्यय उसी निमित किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृति प्रदान की जा रही है। यह स्वीकृति शासनादेश दिनांकः16.04.2018 में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन जारी की जा रही है।

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में अनुदान संख्या–29 के मुख्य लेखाशीर्षक 2401 फसल कृषि कर्म, 119–बागवानी एवं सब्जियों की फसलें, 03–औद्यानिक विकास, 0309–सहकारी जड़ी–बूटी योजना के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश–519/3(150)-2017/XXVII (1)/ 2018,दिनांक–02 अप्रैल 2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा. मेहरबान सिंह बिष्ट)
अपर सचिव

संख्या– 435 (1)/XVI-2/18/7(11)/2018,तददिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महालेखाकार,उत्तराखण्ड।
2–समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
3–बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड
4–राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
5–वित्त अनुभाग–4,उत्तराखण्ड शासन।
6–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विकास कुमार श्रीवास्तव)
अनु सचिव